राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली /2013–14/ 220 दिनांक : 23-8-13

महाप्रबंधक,

1. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, विक्रमादित्य मार्ग, अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर।
2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्यालय, ज्योति नगर, जयपुर।
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एम. आई. रोड़, जयपुर।

विषय :– **स्ववित्त पोषित योजना 2013 के अन्तर्गत मानसरोवर आवासीय योजना के सेक्टर–8, न्यू सांगानेर रोड़ पर प्रस्तावित उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट्स के प्रस्तावित नवीन पंजीकरण योजना के आवेदकों से आवेदन पत्र जमा कराने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के संबंध में।**

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा **स्ववित्त पोषित योजना 2013 के अन्तर्गत मानसरोवर आवासीय योजना के सेक्टर–8, न्यू सांगानेर रोड़** पर प्रस्तावित उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट्स के पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य निम्न शर्तो पर करवाया जाना है :–

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होगें।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साफ्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यो का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोडे जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा ।

भवदीय

सं/

वित्तीय सलाहकार

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. [illegible]–कम–प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट [illegible] का श्रम करें।

[illegible] निधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।

[illegible] आयुक्त, वृत .... को भेजकर लेख है कि अधिकृत [illegible] के सम्पादन हेतु खाता खोलने एवं निर्देश [illegible] हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

[illegible]

वित्तीय सलाहकार